म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक–मंडी/प्रांगण/267 भोपाल,दिनांक : 12/04/16

–:: परिपत्र ::–

कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगण में राज्य शासन एवं केन्द्र शासन की संस्थाओं यथा मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ, केन्द्रीय भण्डार निगम एवं अन्य शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं को कृषि जिन्सों के भण्डारण, खाद भण्डारण एवं अन्य परियोजनों के लिए भू–खण्ड, अधोसंरचनाओं का आवंटन किया गया है।

जैसा कि आप सबको विदित है मंडी प्रांगण में अधोसंरचनाओं एवं भू–खण्डों के आवंटन के लिए राज्य शासन के द्वारा ''मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009'' वर्तमान में प्रचलित है तथा इस नियम की धारा 3 के परन्तु के प्रावधान अनुसार राज्य शासन द्वारा शासकीय संस्थाओं को भू–खण्ड/अधोसंरचना का आवंटन रियायती दरों पर किये जाने के निर्देश समय–समय पर जारी किये गये हैं।

कतिपय् प्रकरणों में परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि मंडी समितियों के द्वारा शासकीय संस्थानों को आवंटित अधोसंरचना/भू–खण्ड के किराये की राशि की वसूली या तो नहीं की जा रही है या वर्षों से नहीं की गयी है। साथ ही मंडी प्रांगण में निर्मित इन संरचनओं के संचालन में उपयोग हो रही बिजली, पानी, सुरक्षा आदि पर भी मंडी समिति के द्वारा ही व्यय किया जा रहा है। जिसके कारण मंडियों को अनावश्यक व्यय के कारण अप्रत्यक्ष/प्रत्यक्ष हानि हो रही है।

अतएव सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल नियमानुसार प्रावधानों का अध्ययन करते हुए मंडी प्रांगण में स्थापित अन्य शासकीय संस्थाओं की अधोसंचनाओं का परीक्षण करें और उन्हें प्रदाय की जा रही सुविधाओं अर्थात् बिजली, पानी, सुरक्षा एवं तौल कांटों का उपयोग आदि के लिए व्यवहारिक गणना करते हुए राशि की वसूली संबंधित अधोसंरचना के किराये के साथ प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

सभी आंचलिक कार्यालय प्रभारियों का यह दायित्व होगा कि वह मंडीवार उपरोक्त विषय की सूचि तैयार करें और मंडी समितियों द्वारा की गयी कार्यवाही, संस्थावार वसूली योग्य राशि तथा वसूल हुई राशि की मासिक समीक्षा करेंगे और इसका मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह मंडी बोर्ड मुख्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक–मंडी/प्रांगण/268 भोपाल,दिनांक : 12/04/16

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1– सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, ...जिला ....।

2– अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय/आंचलिक कार्यालय .... ।

3– मुख्य अभियन्ता, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल